संपत्ति मामलों के मामले में आरटीआई का उपयोग कैसे करें?

<u>शब्दकोष</u>

I. केंद्रीय सूचना आयोग- आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (ख) में तहत परिभाषित। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

II. सूचना - धारा 2(च) "सचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने. माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

III. लोक प्राधिकरण- 2 (ज) "लोक प्राधिकारी" से.

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा:

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,

i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

ii. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

IV. सूचना का अधिकार- 2(ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है

i. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

ii. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना:

iii. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

iv. डिस्केट फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्टानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना; (ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत

V. राज्य सूचना आयोग- आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत परिभाषित। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के अधीन लोक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

1. पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद 'आरटीआई' के रूप में संदर्भित) सार्वजनिक प्राधिकरणों से मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 2(च)

और अधिनियम की धारा 2(ज) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत परिभाषित किया गया है। संबंधित अनुभाग नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं-

सूचना- धारा 2(च) "सचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने. माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

लोक प्राधिकरण- 2(ज) "लोक प्राधिकारी" से-

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा:

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,

i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

ii. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

2. क्या भूमि अभिलेख आरटीआई अधिनियम के तहत उपलब्ध हैं?

निश्चित रूप से, भूमि रिकॉर्ड आरटीआई अधिनियम के तहत उपलब्ध हैं। यह केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा श्री सुरेंद्र पाल सिंह बनाम जीएनसीटीडी दिल्ली के मामले में आदेशित किया गया था। अपीलार्थी ने प्लाट धारकों, प्लाट की सीमा तथा कृषि प्रयोजन के लिए छोड़े गये प्लाट के क्षेत्रफल की जानकारी मांगी थी। प्रदान की गई असंतोषजनक सूचना से व्यथित होकर अपीलार्थी ने आयोग में द्वितीय अपील दायर की। प्रतिवादी ने सूचना को तृतीय पक्ष होने का हवाला देते हुए छूट का दावा किया था। आयोग ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के पास भूमि अभिलेख जिसमें मालिकों का नाम, सीमाओं का विवरण और भूमि की सीमा सार्वजनिक दस्तावेज हैं और भूमि अभिलेखों की पारदर्शिता आरटीआई अधिनियम का जनादेश है।

3. आरटीआई अधिनियम के तहत कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हम कुछ पूर्ववर्ती आदेश का उल्लेख करेंगे जिसमें आरटीआई अधिनियम के तहत संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं।

i. **उत्परिवर्तन दस्तावेज**- श्री ज़मीर अहमद जुमलाना बनाम सीपीआईओ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मामले में अपीलकर्ता ने एक संपत्ति के उत्परिवर्तन के संबंध में जानकारी मांगी थी। इस मामले पर पहले आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था और पीआईओ को लापता दस्तावेजों का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था; हालांकि, पीआईओ द्वारा कोई कार्रवाई

नहीं की गई। आयोग ने पीआईओ को 3 सप्ताह की अवधि के भीतर सूचना प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

ii. **सामान्य मुख्त्यारनामा**- सीआईसी ने अनिल सिंह बनाम पीआईओ, एसडीएम मामले में कहा था कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक सार्वजनिक दस्तावेज है और आरटीआई अधिनियम के तहत सुलभ है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का उद्देश्य एक व्यक्ति को दूसरे के साथ सौदा करने के लिए अधिकृत करना है और इसे एक सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा क्योंकि अनुदेयी को संभावित खरीदार को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करना था।

iii. **भूमि परियोजनाओं के लाभार्थियों का शीर्षक विलेख और विवरण**- अपीलकर्ता ने डॉ. के वेंकट राव बनाम पीआईओ, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के मामले में आवासीय इकाई के एक परियोजना आवंटन के लाभार्थियों से संबंधित जानकारी मांगी थी। मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई और द्वितीय अपील भी सुनवाई के समय उपस्थित न होने के आधार पर खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता ने सीआईसी के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और अदालत ने आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया। कार्यवाही के बाद सीआईसी ने मामले को फिर से शुरू किया। आयोग ने प्रतिवादी को निरीक्षण की सुविधा प्रदान करने और 15 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया और यह भी फैसला सुनाया कि एक शीर्षक विलेख एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

iv. एक आरटीआई आवेदन से पता चला कि एक अधिकारी ने नागरिकों को 40% घरों की अनुमति दी जो युद्ध नायकों और कारगिल युद्ध के युद्ध विधवाओं के लिए थे। आदर्श कोऑप. हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप को साबित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सबूत साबित हुआ।

v. तमिलनाडु सूचना आयोग ने वर्ष 2020 में राज्य सरकार को वर्ष 1864 से राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित सभी दस्तावेज, डिजिटल रूप में उपलब्ध करने का आदेश दिया था|

vi. हाल ही में, एक आरटीआई आवेदन से पता चला है कि गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक, 2021 को गोवा राज्य विधानसभा में पारित होने से पहले "प्रशासनिक रूप से अनुमोदित नहीं" और "अप्रत्याशित व्यापक प्रभाव हो सकता है"।

vii. कौस्तुभा उपाध्याय बनाम डीओपीटी मामले में, सीआईसी ने माना कि एक सरकारी कर्मचारी की वार्षिक संपत्ति रिटर्न सार्वजनिक डोमेन में है और आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान की जाएगी। यह भ्रष्टाचार को रोकने का भी एक साधन साबित होगा, लेकिन चूंकि सूचना तृतीय पक्ष है, इसलिए पीआईओ को ऐसी जानकारी के संबंध में तीसरे पक्ष को लिखित सूचना देनी होगी।

4. आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी

आरटीआई के संबंध में निम्नलिखित जानकारी भूमि संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है-

i. पीआईओ/एफएए की समिति का विवरण।

ii. स्वत: प्रकटीकरण के लिए समिति का विवरण

iii. सक्रिय प्रकटीकरण के लिए नोडल अधिकारियों का विवरण

iv. विभिन्न विभागों के पीआईओ/एफएए का विवरण।

5. टिप्स और ट्रिक्स

राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए एक आरटीआई आवेदन पर छूट को चकमा देने के लिए, एक आवेदक को यह संवाद करना चाहिए कि मांगी गई जानकारी उस ही से संबंधित है और किसी तीसरे पक्ष की गोपनीयता भंग नहीं करती है। आवेदन की शुरुआत में अन्य संदर्भात्मक जानकारी के साथ एक संक्षिप्त प्रासंगिक पैराग्राफ एक बड़ा अंतर बना सकता है।

यह तीन तरीके काम करेंगे:

i. आवेदक के लिए सूचना किस प्रकार प्रासंगिक है, इस तक पहुँचने में पीआईओ की सहायता करें।

ii. मांगी गई जानकारी की प्रकृति और सटीकता को ठीक से समझने में पीआईओ की मदद करें|

iii. यह जानकारी मांगने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और बर्खास्तगी का सामना करने की अधिकतम संभावना को कम करेगा।

उदाहरण:

कृपया मेरे पक्ष में पृष्ठांकित जनरल मुख्त्यारनामा की प्रति, मेरे पक्ष में नामतः 'जेठालाल गड़ा' दिनांक 20.1.2021, द्वारा 'श्री तारक मेहता', उप पंजीयक कार्यालय, ग्वालियर के समक्ष उपलब्ध कराएं। संख्या: XXXXX फ़ोल्डर संख्या: XXXX पृष्ठ XX से XX|

आरटीआई आवेदन का प्रारूप

आरटीआई आवेदन

31 अक्टूबर 2021

प्रति,
लोक सूचना अधिकारी,
तहसील कार्यालय, कालका
हरियाणा, भारत

महोदय,

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निम्नलिखित जानकारी मांगी गई है। कृपया प्रस्तुत करें:

i. भूमि आवंटन योजना के लाभार्थियों की सूची।
ii. भूमि आवंटन योजना के लाभार्थियों को आवंटित भूमि की सीमाएं।
iii. उन लाभार्थियों की सूची जिन्होंने अपने भूमि आवंटन का दावा किया है।
iv. उन लाभार्थियों की सूची जिन्होंने अपने भूमि आवंटन का दावा नहीं किया है।

भवदिय

_____
_____
_____

आवेदन निरस्त करने से पूर्व कृपया संज्ञान में ले

1. जरुरत पड़ने पर धारा 5 (3) के अंतर्गत " युक्तियुक्त सहायता प्रदान करें
2. यदि आवेदन के पूरा या समुचित भाग पर जानकारी इस विभाग के अधीन उपलब्ध नहीं है तो धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य उचित सूचना अधिकारी को अंतरित करने का कष्ट करें ।